

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक / अल्मोड़ा दिनांक 2022

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में भतरौंजखान निगराली शिकियासैण मोटर मार्ग। (प्रस्ताव सं 0 FP/UK/ROAD/11260/2016)

सन्दर्भ – ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 18.11.2021 एवं अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत का पत्रांक 1144 / 36 सी० दिनांक 01.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the authority letter. Kindly mentioned the same as the name and designation of the competent authority is to be mentioned and seal is to be affixed as per the guidelines: also the scan of photostate authority letter is uploaded. Kindly upload the scan of original authority letter.	मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु ऑथराइटी लैटर मूल में तैयार कर ऑथराइज अधिकारी का पद एवं हस्ताक्षर करवाकर पार्ट-। में ऑन लाईन कर दिया गया है।
2	VLC preceeding and NOC of all the villages as per detail mentioned in the B 2.3 under village wise breakup is to be uploaded along FRA certificate for the villages.	वनाधिकारी प्रमाण पत्र ग्राम स्तरीय कमेटी के प्रमाण पत्र में प्रत्येक गांव की अनापत्ति सहित पूर्ण वनाधिकार प्रमाण पत्र पार्ट-। के Kसेक्षण में ग्राम वाईज ब्रेकअप को सही कर पार्ट-। के सेक्षण B2.3 में अंकित कर ऑन लाईन कर दिया गया है।
3	Van panchayat land is shown in Bar Chart under legal classification in Part II, van panchayat land is not mentioned; also in Part II – only 0.128 ha detail is mentioned revenue forest (Screenshot attached)	आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया नहै।
4	Also submit I-hard copy in original as the proposal is to be sent to RO, MOEFCC, GOI and UA had submitted only 2 Copy.	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी तैयार कर नोडल अधिकारी, देहरादून को दो मूल प्रतियों में पूर्व में प्रेषित की गयी है। पुनः एक सत्यापित प्रति प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

✓



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राजीखेत



Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail - cecpdrani@yahoo.com

पत्रांक 1144 / ३६६१

दिनांक राजीखेत, भूल ५.०४.२०२१.

सता में

प्रभागीय कानूनिकारी
अल्पोड़ा वन प्रभाग,
अल्पोड़ा।

- विषय : भरतीजखान निराशी घोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/11260/2015)

रात्रि : EDS दिनांक 20.04.2021।

महादेव,

उपरोक्त विषयक EDS दिनांक 20.04.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन मुमि हरतान्तरण प्रस्ताव में गोडल अधिकारी, देहरादून व्हास 4 विन्दुओं पर आपात लगायी गयी है, जिसका निराकरण कर औंन लाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the authority letter. Kindly mentioned the same, as the name and designation of the competent authority is to be mentioned and seal is to be affixed as per the guidelines; also the scan of photo stat authority letter is uploaded. Kindly upload the scan of original authority letter.	घोटर मार्ग वन मुमि हरतान्तरण प्रस्ताव में सलग करने हेतु आश्राइटी लैटर मूल में तैयार कर आश्राइटी अधिकारी का पद एवं हरताक्षर करवाकर पाठ १ में औंन लाईन कर दिया गया है।
2-	VLC proceeding and NOC of all the villages as per detail mentioned in the B 2.3 under village wise breakup is to be uploaded along FRA certificate for the villages	कानूनिकार प्राप्ति पर गाम स्तरीय कमिटी के प्राप्ति पर यु पत्रिक गाम की अनापाति सहित पूर्ण कानूनिक प्राप्ति पर पाठ १ के K सेक्शन व गाम वाईन ब्रैक अप को सही कर पाठ १ के सेक्शन B 2.3 में अंकित कर औंन लाईन कर दिया गया है। इस विन्दु का निराकरण आपके स्तर से होता है।
3-	Van panchayat land is shown in Bar chart under legal classification in Part II, van panchayat land is not mentioned ; also in Part II-only 128 ha detail is mentioned revenue forest (screenshot attached)	प्रस्ताव की हाई कमी तैयार कर गोडल अधिकारी देहरादून को दो मूल प्रतियों में पूर्व में प्रेसित की गयी है। पूर्व एक संपादित प्रति प्रेसित की जा रही है।
4-	Also submit 1-hard copy in original as the proposal is to be sent to RO, MOEFCC, GOI and UA had submitted only 2 copy.	प्रस्ताव की हाई कमी तैयार कर गोडल अधिकारी देहरादून को दो मूल प्रतियों में पूर्व में प्रेसित की गयी है। पूर्व एक संपादित प्रति प्रेसित की जा रही है।



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजीखेत।

Rishabh

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— भूमि परिवर्तन-जीवनाधिकारी-उत्तराखण्ड
भिजिली (ठिकं ३० फ्रॉ १६-२०) ५,००० किमी^०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~भृष्टाचार~~
तहसील विधिभाष्टि जिला ठालेखन

उत्तराखण्ड में जनपद ~~उत्तराखण्ड~~ के अन्तर्गत ~~उत्तराखण्ड~~ परियोजना के निर्माण हेतु (~~एक~~) हेतु आरक्षित वन भूमि, ~~एक~~ हेतु सिविल सोयम भूमि^० १९ हेतु, वन पंचायत भूमि^० ८८ हेतु अर्थात् कुल^० १८८ हेतु वन भूमि का लो० जिलनि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~भृष्टाचार~~ द्वारा दिनांक १२/०३/०५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा रूपाली किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हमन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~भृष्टाचार~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ~~एक~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रसारित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
विभाग भिक्षिया सेन (अल्मोड़ा)

२०५८
(एच० ईस० नंगो)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत-सौरे

२०५८
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सौरे
विभाग भिक्षिया सेन (अल्मोड़ा)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रसावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 63/05/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिथिति

ग्राम पंचायत सौरे

क्रमांक	ग्राम सभा में उपरिथित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	बड़ा श्रीनारायण 1002, लंडन लख	12/05/2022,
2-	॥ बड़ी मासुद कलाली ॥ ॥	सौमित्र
3-	॥ लक्ष्मी नारायण ॥ ॥	दयालसिंह
4-	॥ दुर्गा नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी	लक्ष्मी
5-	॥ लक्ष्मी पालकराजू - लक्ष्मी	Khem Singh
6-	॥ रहस्यामुख अवाम हरप्रीत सिंह	गणेश किंशु
7-	॥ अमरपाल रामल माल	कल्पना पालनी
8-	॥ शुभलालू लिल	प्रभानी
9-	॥ लक्ष्मी लिल	जगन्नाथ
10-	॥ लक्ष्मी लिल	किंशु नारायण
11-	॥ लक्ष्मी लिल	विजयनारायण
12-	॥ लक्ष्मी लिल	लक्ष्मी नारायण
13-	॥ लक्ष्मी लिल	लक्ष्मी
14-	लक्ष्मी लिल	जगन्नाथ
15-	जगन्नाथ	लक्ष्मी
16-	लक्ष्मी लिल	गोवालसु
17-	साजो राम	राम (राम)
18-	लक्ष्मी लिल	रघुराम

इनाम
(एवं १० सूत्र नेगी) 12/05/2022

सदस्य

सेवा पंचायत-सौरे

किंखण भिक्षासेव (अल्मोड़ा)

Yashu

सदस्य

सेवा पंचायत विनोली

किंखण भिक्षासेव (अल्मोड़ा)

50/-

ग्राम प्रधान

किंशु नारायण

ग्राम पंचायत सौरे

किंखण भिक्षासेव (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- अंतर्रोजरन - जीनापार्टी - उगलिका - निगराली
(Km 16-20) 5.000 Km

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भूमि किए जाएं।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रभाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, भूमि किए जाएं।

उपखण्ड भूमि परिषेक के अन्तर्गत अंतर्रोजरन - जीनापार्टी के हैं 0 आरक्षित वन भूमि, 0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.765 हैं 0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.198 हैं 0 वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भूमि की दिनांक 12/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री N.S. Nagonyal, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 1- | श्री N.S. Nagonyal | उपजिलाधिकारी | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री V.K. Singh | उप प्रभागीय वनाधिकारी | उप वनाधिकारी (प्रभागीय) | सदस्य |
| 3- | श्री R.S. Rovat | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | उप वनाधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री | वी०डी०सी० धोत्र | वी०डी०सी० धोत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में रवागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

अंतर्रोजरन - जीनापार्टी - उगलिका - निगराली (Km 16-20) 5.000 Km

भूमि लौ०नि०गि० माननीय रवागत राजीवेत उत्तरारण
परियोजना हेतु 0.963 है० वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भासला लम्बित नहीं है। उचत भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, V.K. Singh द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी वावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वैठक में सर्वसमति से उपखण्ड
भारतीय नगरीय अधिकारी नगरीय
हैं। वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्त्ति किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

परिषेत्र के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु
प्रत्यावर्त्ति किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील
जनपद दालोड़ी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ३१ मे २०१५ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील दालोड़ी (गोपालगढ़)
जनपद दालोड़ी

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....13.03.15.....at time.....5:00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 2.963 hect. for the Construction of Bhatnachikhan-Tesnapani-Hgallya-Nigali M/R (Km 16-20) 5.000 Km of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


13.03.15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


उत्तराखण्ड का वन विभाग
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above



(Full name of the official seal of the District Collector)

12.03.15
Signature

जिला अधिकारी
ब्रह्मोदय।

FORM-1

Government of Uttarakhand *Almora*
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :.....

Dated:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.....*मानकराम - लोगापानी - ग्रामिया - विकासी* (Km - 16-20) 5000 Km.....

(Purpose for diversion of forest land) in.....*लौहिटा*.....district falls within jurisdiction of.....*हड्डी*.....village(s) in.....*दिल्ली*.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *96.3* Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal does not involve recognition of primitive Tribe Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

[Signature]
[Official Seal]
लोगापानी

(Full name of the official seal of the District Collector)

13.03.15
Signature

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- अन्तर्रोजरगति - जीवाशमि - उत्तराखण्ड - निगराली M/R
(Km 16-22), 5.000 Km.....

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दिन के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित अन्तर्रोजरगति - जीवाशमि - उत्तराखण्ड - निगराली M/R (Km 16-22) 5.000 Km के निर्माण हेतु 0.963 है।
 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

13-03-2015
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No... 255/1024

Dated.. 13/01/16

Mr. Kundan Lal Verma, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet(Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.


Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora